



UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग

रुद्रप्रयाग



उत्तराखण्ड शासन

Website-<http://pwd.uk.gov.in>Fax: 01364-233204, E-mail ID: eeppwd_rpg@rediffmail.comपत्र संख्या
सेवामें,

62/16C

दिनांक 09/01/2023

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग।

विषय-

वनमृमि पत्रावली संख्या FP/UK/ROAD/10372/2015 जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत जैली भरगांव तैला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.7425 हे० वनमृमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

सन्दर्भ-
महोदय,

आपका पत्र संख्या 2475/12-1(2) दिनांक 27.01.2023।

उपरोक्त विषयक मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या पूर्व ही इस कार्यालय के पत्र संख्या 510/16सी दिनांक 22.02.2017 द्वारा आपको प्रेषित की जा चुकी है, किन्तु 5 वर्ष से अधिक समय होने के कारण एनपीवी की बढ़ी हुए धनराशि जमा किये जाने के कारण सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की संशोधित विन्दुवार अनुपालन आख्या पुनः उपलब्ध कराये जाने लिखा गया है-

क्र०	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग द्वारा रिक्त पड़े स्थानों क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं इसके 10 वर्षों के रख-रखाव हेतु वांछित धनराशि रु० 6,00,000.00 मात्र RTGS के माध्यम से Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttaranchal S.B. A/c 037100101025229 Corporation Bank Lodhi Branch New Delhi में इस कार्यालय द्वारा ऑन लाइन द्वारा जमा किया जा चुका है, (चालान की प्रति संलग्न- संलग्नक-1)।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 /1995 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग द्वारा शर्त संख्या 2 के अनुपालन में एनपीवी की देय धनराशि रु० 4,87,823.00 मात्र की धनराशि ऑन लाइन उक्त खाते में जमा की जा चुकी है, (संलग्नक-1 के अनुसार)।
3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का बचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दरों में बढोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	शर्त संख्या 3 के अनुपालन में एनपीवी मूल्य की दर में यदि बढोत्तरी की धनराशि रु० 2,58,546.00 मात्र की ऑन लाइन जमा की जा चुकी है, चालान की प्रति संलग्न है (संलग्नक-2)।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन०पी०वी० तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या एस०वी०-25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लॉक-11 भूतल सी०जी०ओ० काम्पलैक्स फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा की जायेगी।	शर्त संख्या 1, 2, 3 व 4 के अनुसार (कुल धनराशि रु० 6,00,000.00 + 4,87,823.00 + 2,58,546.00 मात्र)
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए०सी०-566 एवं भारत सरकार पत्र सं० 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक-11 भूतल सी०जी०ओ० काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चैक की छायाप्रति सहित	शर्त संख्या 1, 2, 3 व 4 के अनुसार (कुल धनराशि रु० 6,00,000.00 + 4,87,823.00 + 2,58,546.00 मात्र)



Scanned with OKEN Scanner

	प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, प्रस्तावित स्थल के आसपास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यालय की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	अनुपालन किया जायेगा।
7	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों / प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जायेगा।	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों / प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न कर प्रेषित है।
8	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	अनुपालन किया जायेगा।
9	उपरोक्तानुसार शर्तों के अनुपालन पश्चात् प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	अनुपालन किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु प्रकरण भारत सरकार को अपनी संस्तुति सहित प्रेषित करने की कृपा करें।
संलग्न-उपरोक्तानुसार।

(इं0 इन्द्रजीत बोस)
अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग।
29/6/24

प्रतिलिपि-

- नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग, इन्डियन फारेस्ट कालोनी देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग
29/6/24

E-Cheque Advise
Government Of Uttarakhand

ChequeID : CO9000186703160003 Date : 22-MAR-10

Code
Grant No.
Code
Project Name :

1867
RAC
OP8000422700026

Division Name : Provincial Division P.W.D.
Scheme : 5054048000500 PV
Name : Compensatory Afforestation Fund(Caf) Ultranchial

LAND COMPANTATION AND N.P.V. PAYMENT (STATE SECTOR) (PV)(50540480)
ALLOTTED AMT : 299009000 EXPENDITURE AMT : 226948262 REMAINING AMT : 72000730

Vs 163 Dt 22/3/16

Proposed No - FP/UL/ROAD/10372/2015

TO/Sr.TO/TO/STO
Rudraprayag

ease pay to Compensatory Afforestation Fund(Caf) Ultranchial
orporation Bank IFSC Code CORP0000371 Account No. 03710001026229 as per detail below.

1. In Contractor Bank A/C	1087823.00
2. Payment to A/C of following through book transfer (M)	0.00
2.1 Income Tax-TDS (8850001120000000)	1087823.00
Net	

Amount in words : (Rs. Ten Lac Eighty-Seven Thousand Eight Hundred Twenty-Three Only.)
Note: Detail given above is checked by me personally and is correct.

Signature with Seal
प्रदेशीय सहायक अभियन्ता

DAO/Sr.DAO Provincial Division P.W.D. Rudraprayag

Executive Engineer
प्रदेशीय सहायक अभियन्ता
Rudraprayag

Whole copy attested
For-Treasury
सहायक अभियन्ता
प्रदेशीय सहायक अभियन्ता
Rudraprayag

ID : CO9000186703160003 Date : 22

Voucher No.
Voucher Date.

Proposed Amount Rs. : 1087823.00
Amount in words : (Rs. Ten Lac Eighty-Seven Thousand Eight Hundred Twenty-Three Only.)
Bank Amount Rs. : 1087823.00
Amount By TC Rs. : 0.00

Accountant Signature

प्रदेशीय सहायक अभियन्ता
Assistant Engineer
Prov. Division P.W.D.
Rudraprayag

ATO Signature

CTO/Sr.TO/TO/STO Signature

PRINCIPLE				Status	
No (New)	27 Jul 2015			✓ Paid	Fund Demand
FP/UK/ROAD/10372/2015 K:\NewReport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/10372/2015	ROAD103722015236	6110372236	03 Nov 2015	✓ Paid	Verified by Nodal Officer On Bank Name India NEFT/RTGS (Challan) Generated On Challan Transaction Date :15 Mar 2023 :26 Jun 2023
Jail-Margaoor-Taila Motor Road under State Sector					
FP/UK/ROAD/10936/2015 K:\NewReport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/10936/2015	ROAD109362015565	6110936565	03 Nov 2015	✓ Paid	Verified by Nodal Officer On Bank Name India NEFT/RTGS (Challan) Generated On Challan Transaction Date :14 Mar 2023 :09 Jun 2023
Construction of Kurnum Pull to Udema-Dhechal Motor Road					
FP/UK/ROAD/11825/2015 K:\NewReport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/11825/2015	ROAD118252015366	6111825366	08 Apr 2016	✓ Paid	Verified by Nodal Officer On Bank Name India NEFT/RTGS (Challan) Generated On Challan Transaction Date :14 Mar 2023 :09 Jun 2023
Construction of Chennagach- Changasau (Bargal) Motor Road under State sector					
FP/UK/ROAD/8718/2014 K:\NewReport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/8718/2014	ROAD87182014480	6187180480	02 Nov 2015	✓ Paid	Verified by Nodal Officer On Bank Name India NEFT/RTGS (Challan) Generated On Challan Transaction Date :14 Mar 2023 :26 Jun 2023
Chopra-Durgin-Chaper Motor Road (State Sector)					
FP/UK/ROAD/9719/2015 K:\NewReport.aspx? pid=FP/UK/ROAD/9719/2015	ROAD97192015432	6197190432	16 Apr 2015	✓ Paid	Verified by Nodal Officer On Bank Name India NEFT/RTGS (Challan) Generated On Challan Transaction Date :16 Mar 2023 :09 Jun 2023
construction of khuzat bend chowki basel & extension of khuzat bend chowki basel to Jaminid saratkal					

आज्ञा प्रती सहयोगित
 Assistant Engineer
 Prov. Division P.W.D.
 Alu Rudraprayag



परियोजना का नाम :-

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम -----

तेला

तहसील ----- जिला -----

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ह.प.प्राग

जिला ----- उत्तराखण्ड में

ह.प.प्राग तेला (हा.प.प्राग) मोहर मार्ग

परियोजना के निर्माण हेतु

हे० आरक्षित वन भूमि, ----- हे० सिविल सोयम भूमि ----- हे० वन पंचायत भूमि ----- हे०) अर्थात् कुल ----- हे० वन भूमि का ----- विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ----- द्वारा दिनांक ----- को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह है कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपरिथत सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ----- के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ----- प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

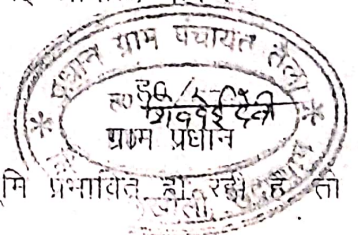
प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह० / -----

ग्राम सचिव

नोट ----- किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ सलग्न किया जाना है।



प्रमाणित
परियोजना
ह.प.प्राग

प्रपत्र-23.1

दिनांक 8 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पंचायत तेल
तेल

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
01-	महापाल सिंह कपूरवाड़ा	
02	गुमान सिंह किलवाड़ा	
03	सुरत सिंह पवार	
04	मोहन सिंह विष्ट	
05	मन्वीर सिंह पवार	
06	कमल सिंह किलवाड़ा	
07	पेम सिंह पवार	
08	उदय सिंह पवार	
09	विजयपाल सिंह किलवाड़ा	
10	पूजा नन्द शास्त्री	
11	अश्वर सिंह पवार	
12	शापाल सिंह राणा	
13	कलदीप सिंह नेगी	
14	उदय सिंह राणा	

ग्राम पंचायत
सहायक अधिकारी
तेल
तेल

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विरस खण्ड जलोढ़ी में मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत जेली-मरगांव - तैला मो. प्र. का नव निर्माण लम्बाई 3.00 किमी

कार्यालय उप जिलाधिकारी,

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम, 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, जलोढ़ी

उपखण्ड जलोढ़ी परिक्षेत्र के अन्तर्गत

(0.000 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.7425 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.7425 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 2.7000 हे० वन भूमि) का लक्ष्मी राव चौधन प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील जलोढ़ी) की दिनांक 20/01/15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री लक्ष्मी राव चौधन उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री लक्ष्मी राव चौधन उप जिलाधिकारी अध्यक्ष
- 2- श्री अजय कुमार उप प्रभागीय वनाधिकारी सदस्य
- 3- श्री हर्षवर्धन राई सहायक सामाजिक कल्याण अधिकारी सदस्य / सचिव
- 4- श्री कामला केहरावर बी०डी०सी० क्षेत्र तैला तहसील जलोढ़ी सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि

जनपद रुद्रप्रयाग के विरस खण्ड जलोढ़ी में मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत जेली-मरगांव - तैला मो. प्र. का नव निर्माण परियोजना हेतु 2.700 हे० वन भूमि

प्रा० ख० लो० नि० वि० रुद्रप्रयाग

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु परस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। साम सामा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला सम्बन्धित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित माम सामा द्वारा सर्वसम्पत्ति से पारित परस्ताव के आधार पर सामाजिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

प्रति उपस्थित

उपखण्ड अधिकारी
प्रा० ख० लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग

FORM-1

(for linear projects)

**Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Rudraprayag**

No-23

Dated-30-01-2015

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.7425 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Provincial Division P.W.D. Rudraprayag** (name of user agency) for **Construction of Jalli-Margaon-Taila Motor Road under State Sector** (purpose for diversion of forest land) in Rudraprayag district falls within jurisdiction of **Taila, Wad** village (s) in **Jakholi** tehsils.

It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire... hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

(Dr. Raghav Jangar)

(Full name and official seal of the District Collector)

प्रति सम्पादन
रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन
प्रमाणित
30-01-2015

**OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT Rudraprayag (U.K.)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

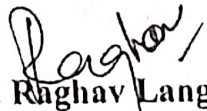
A meeting of the district level committee of Rudraprayag district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Dr. Raghav Langer I.A.S District Magistrate Rudraprayag on date 30-01-15 at timeat Rudraprayag in which application claiming rights in Forest area measuring 0.7425 hect for the Construction of Jaili-Margaon-Taila Motor Road under State Sector (3.00 Km) of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of S.D.M. sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place : Rudraprayag

Dated:.....

प्रति श्रुत्यापित
सहायक अधीक्षक
प्रादेशिक विकास
विभाग


(Dr. Raghav Langer)
District Magistrate-cum-
Chairman, District Level
Committee, Rudraprayag
जिला अधिकारी
रुद्रप्रयाग